क्र.	कर्मचारी का नाम	प्रथम नियुक्ति तिथि/पदनाम/कार्यभारित/आकस्मिक निधि	वेतनमान	05 वर्ष पूर्ण होने पर स्थायी सेवा का सदस्य घोषित होने की तिथि	नियमित पदनाम/नियुक्ति तिथि	नियमित/वर्तमान वेतनमान	का.भा./आक. निधि सेवा 17 वर्ष पूर्ण होने की पात्रता तिथि	सेवा 17 वर्ष पूर्ण होने की तिथि से देय क्रमोन्नत वेतनमान
1	श्रीमती वीणा मिश्रा (सेवा.ति.30.06.13)	11/01/1996 का.भा.सर्वेक्षक	5200-20200 +1900 ग्रेडपे मैट्रिक्स लेवल-4 (19500-62000 तक)	11/01/2001	पम्प सहायक 16/10/2008	5200-20200 +1900 ग्रेडपे मैट्रिक्स लेवल-4 (19500-62000 तक)	11/01/2013	5200-20200 +2200 ग्रेडपे मैट्रिक्स लेवल-5 (22400-71200 तक)
2	श्री नंद कुमार निर्मलकर (सेवा.ति.31.1.17)	11/01/1996 का.भा.सर्वेक्षक	--//--	11/01/2001	पम्प सहायक 16/10/2008	--//--	11/01/2013	--//--
3	श्री सखी चंद (सेवा.ति.31.7.16)	12/01/1996 का.भा.सर्वेक्षक	--//--	12/01/2001	पम्प सहायक 20/10/2008	--//--	12/01/2013	--//--
4	श्री रूपचंद देवांगन (सेवा.ति.30.6.16)	11/01/1996 का.भा.सर्वेक्षक	--//--	11/01/2001	पम्प सहायक 13/10/2008	--//--	11/01/2013	--//--
5	श्रीमती रमा गोसाई (सेवा.ति.31.1.16)	21/01/1997 का.भा.सर्वेक्षक	--//--	21/01/2002	पम्प सहायक 16/10/2008	--//--	21/01/2014	--//--

(प्रकाश कुमार सर्वे)
रा.प्र.से.
आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./एफ- /1/सा.प्र.वि./विविध/2022/2203 भिलाई, दिनांक 7-2-2022

प्रतिलिपि :-

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. उप संचालक, छ.ग. राज्य संपरीक्षा, राजनांदगांव को सूचनार्थ।
5. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. स्टेनो टू आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. प्रभारी स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाईट में अपलोड हेतु।
9. सर्व संबंधित श्री/श्रीमती...नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्र./एफ– /1/सा.प्र.वि./विविध/2022/9207 भिलाई, दिनांक 7-2-2022

आदेश

छ.ग. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय के पत्र कमांक 5367/4824/10/18 रायपुर दिनांक 01.10.10 द्वारा कार्यभारित एवं आकस्मिकता सेवा के कर्मचारियों हेतु कमोन्नति योजना बाबत सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ–10–1/07/ 1–3/दिनांक 11 जून 2007 में दिये गये निर्देशानुसार एवं नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने लिखा गया है ।

छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 16.11.07 के पैरा 03 में उल्लेख है कि कार्यभारित/आकस्मिक निधि सेवा के कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों के सामान 12/24 वर्ष के आधार पर कमोन्नति योजना का लाभ सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित ज्ञापनों में निहित शर्तो के अध्याधीन दिया जाये। 12/24 वर्ष की सेवा की गणना कार्यभारित तथा आकस्मिकता सेवा के नियमित स्थापना में सदस्यता प्राप्त करने की तिथि से की जावेगी ।

नगर निगम भिलाई के कर्मचारियों को कार्यभारित तथा आकस्मिकता कर्मचारी की भर्ती तथा सेवा शर्ते नियम 1977 के अनुसार वेतन भत्ते एवं सुविधाएं दी जा रही है । उक्त नियम के नियम 4 सेवा के गठन (ख) अनुसार जो इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा भर्ती किये गये हो पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर नियमित नियोजन के समतुल्य वर्ग के पद धारण करने वाले कर्मचारी माने जावेगें ।

म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन वेतन आयोग प्रकोष्ठ कमांक डी 14/917/1 (3)/76 दिनांक 13.01.1977 द्वारा कार्यभारित एवं आकस्मिक मद से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए नवीन सेवा का गठन के संबंध में संशोधन किया गया है जिसकी कंडिका 01 अनुसार जिन कर्मचारियों की सेवा दिनांक 01.01.74 को एक साल की नहीं हुई है वे नव गठित सेवा के सदस्य होने के पात्र नहीं है। उसी प्रकार दिनांक 01.01.74 के पश्चात नियुक्त कर्मचारी सेवा के सदस्य होने के पात्र नहीं है। शासन द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि इन दोनो प्रकार के कर्मचारी जब पांच साल की लगातार सेवा पूर्ण कर लें तो उन्हें भी उक्त सेवा का सदस्य होने के लिए पात्र माना जावे।

अतः शासन के उपरोक्त निर्देश एवं प्रावधान अनुसार कार्यभारित कर्मचारी को पांच वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर कार्यभारित तथा आकस्मिक सेवा के नियमित स्थापना में सदस्यता प्राप्त होगी तथा नियमित स्थापना में सदस्यता प्राप्त करने के 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात अर्थात कुल 17 वर्ष में प्रथम कमोन्नति की पात्रता होगी और 17/29 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय कमोन्नति की पात्रता होगी।

उपरोक्तानुसार नियमित एवं कार्यभारित स्थापना दोनों स्थापना के कर्मचारियों को कमोन्नति योजना का लाभ देने हेतु शासन के उक्त निर्देश के परिपालन में निकाय स्तर पर गठित छानबीन समिति की बैठक दिनांक 29.01.2022 में की गई अनुशंसा अनुसार निम्नलिखित कर्मचारी कार्यभारित/आकस्मिक मद सेवा में नियुक्ति दिनांक से निरंतर कार्यरत है। अतः इन कर्मचारियों के कार्यभारित/आकस्मिक मद स्थापना के सदस्यता प्राप्त करने की तिथि एवं नियमित दोनों सेवा अवधि को कमोन्नति के लिए गणना हेतु विचार करते हुए 17 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के समक्ष कॉलम 07 में दर्शित देय प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया जाता है :–

क्रमश.......